

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान
State Level Banker's Committee, Rajasthan

ज.अं./एसएलबीसी/2023-24/336

संयोजक
Convenor



दिनांक: 14-06-2023

- नियंत्रक, समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान
- समस्त अग्रणी जिला प्रबन्धक, राजस्थान

महोदय,

विषय: ई-सईन/ डिजिटल हस्ताक्षरित जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र को अनुमान्य किया जाने बाबत।

विषयांतर्गत संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (सं.वि.) विभाग, राजस्थान सरकार ने मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर से प्राप्त सूचना के संदर्भ में पत्रांक प.25(1)आयो/सं.वि./2023 के माध्यम से सूचित किया है कि बैंकिंग कार्यालयों द्वारा ई-साइन/ डिजिटली हस्ताक्षरित प्रमाण पत्रों को मान्य नहीं किया जा रहा है, जबकि राज्य सरकार द्वारा जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर एवं पूर्व मुद्रित (Pre-Printed) स्टेशनरी जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से उपयोगी सभी प्रकार के मानक तरीकों (Hologram, Water Mark, Bar Code, etc.) के उपयोग को मान्यता (Recognition) प्रदान की गई है एवं इस संबंध में मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार के अधिसूचना दिनांक 07.12.2015 एवं प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग के परिपत्र क्रमांक 22519 दिनांक 02.06.2015 द्वारा भी निर्देश जारी किए गए हैं।

उक्त पत्र आपके सुलभ संदर्भ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित कर रहे हैं, जिसकी विषय वस्तु स्वतः ही स्पष्ट है।

उल्लेखनीय है कि ऑनलाइन जारी सईन/ डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त जन्म/ मृत्यु प्रमाण पत्रों का सत्यापन वेबपोर्टल पहचान (Pehchaan.raj.nic.in) के द्वारा किया जा सकता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आपके आधीन सभी बैंक शाखाओं को निर्देशित करें कि ई-साइन/ डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त जन्म/ मृत्यु प्रमाण पत्र वैध दस्तावेज़ जिनको आवेदक द्वारा प्रस्तुत करने पर भौतिक प्रमाण पत्रों की मांग नहीं की जावे।

उपरोक्त आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

-ह.-

(आलोक सिंघल)

सहायक महाप्रबंधक, एसएलबीसी, राजस्थान

✓ प्रतिलिपि: संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (सं.वि.) विभाग, राजस्थान सरकार को सूचनार्थ हेतु प्रेषित है।

(आलोक सिंघल)

सहायक महाप्रबंधक, एसएलबीसी, राजस्थान

संलग्न: यथोक्त